(4)

संख्या–120 बीपी/35–1–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 20 मई, 2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में शासनादेश संख्या–479(1)/35–आ–1/2013, दिनांक 07 मार्च, 2013 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन Completion of ongoing works of dams, canals etc including restoration of works of dams में केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा अनुमोदित निम्न परियोजनाओं को उनके सामने इंगित लागत, जिसका कुल योग रू. 861.63 लाख (जिसमें मनरेगा अंश रू 133.63 लाख तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू 728.00 लाख है), की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में शत–प्रतिशत धनराशि रू 728.00 लाख की धनराशि विभाग को अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा वर्ष 2012–13 में रू 0.20 लाख की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। वर्ष 2013–14 में शासनादेश संख्या–917(1)/35–आ–1/2013, दिनांक 06 जून, 2013 के माध्यम से परियोजना के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप रू 727.80 लाख की धनराशि विभाग को अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू 643.57 लाख की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर रू 643.77 लाख का व्यय हुआ। अतः विभागीय मांग के आधार पर प्रश्नगत निम्नांकित मदो के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये उनके सामने इंगित धनराशि जिसका कुल योग रू 84.23 लाख (रूपये चौरासी लाख तेईस हजार मात्र) होता है, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(रू. लाख में)

	परियोजना का नाम	कुल लागत	कुल में		अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष 31 मार्च, 2014 तक व्यय	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अवमुक्त धनराशि
			अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	मनरेगा अंश		
1	Lining and restoration of Sipri branch km 0.00 to 10.09 km and regulator	480.63	408.63	72.00	324.40	84.23
2	Lining of Upper Rajghat canal for creating of additional potential	381.00	319.37	61.63	319.37	0.00
	Total	**861.63**	**728.00**	**133.63**	**643.77**	**84.23**

1— संदर्भित शासनादेश की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2— मनरेगा से अपेक्षित धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3— इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत में सम्मिलित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है तथा कोई अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने शेष नहीं रह जाती है। कार्य को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4— राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2— स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014—15 के बजट के अनुदान संख्या—40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष—4575—अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत—02—पिछड़े क्षेत्र—800—अन्य व्यय—04—बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं—78—सीपरी ब्रॉच तथा ऊपरी राजघाट नहरों की लाइनिंग तथा पुरर्स्थापना एवं रेग्युलेटर का कार्य—24—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय—ज्ञाप संख्या बी—1—795/दस—2014—231/ 201 दिनॉक 14 मार्च, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या– 1208 (1)/35–1–2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2– महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3– प्रमुख सचिव, सिंचाई ।
4– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/सिंचाई विभाग
5– प्रमुख सचिव, वित्त।
6– निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
7– मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूटधाम।
8– जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9– मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
10– कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
11– गार्ड फाईल।
12– वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग–5
13– जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।